



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216154  
CG-DL-E-14022020-216154

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584]  
No. 584]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2020/माघ 21, 1941  
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2020/MAGHA 21, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2020

**का.आ. 637(अ).**—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in) पर लिखित रूप में भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिला में स्थित है। अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू एल पी - 0514/ सी आर -106/ एफ- I- दिनांक 27 अगस्त, 2014 को अधिसूचित किया गया था; और अभयारण्य क्षेत्र में पर्याप्त पारिस्थितिकी, जीवजंतु, वनस्पति, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक और प्राणिविज्ञान का महत्व है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 420.0 वर्ग किलोमीटर है;

और, क्षेत्र में बहुत प्रचुर जीवजंतु और वनस्पति विविधता के साथ स्तनधारियों की लगभग 22 प्रजातियां, सरीसृपों की लगभग 12 प्रजातियां और उभयचरों की कई प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र की वनस्पति का प्रतिनिधित्व "i) 3बी/सीआईबी: दक्षिण भारतीय आर्द्र पर्णपाती वन और ii) 5ए/ दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन" द्वारा है जिसमें प्रजातियां जैसे अचार / चार / चरोली (*बुकाननिया लैजान*), अमलतास/बहावा (*कैसिया फिस्टुला*, *लिनन*), अमता (*बौहिनिया मालाबारिका*, *रोक्सब*), अन्जान (*हार्डविकॉन बिनाटा*, *रोक्सब*), अपटा (*बौहिनिया रेसेमोसा*, *लैम्क*), औनला (*इम्बलिका ओफिसिनालिस*), अर्जुन (*टर्मिनलिया अर्जुन*), बबुल (*अकेशिया निलोटिका लिनन*), बहेडा (*टर्मिनलिया बेलिरिका*, *गैरटन*), बेल (*एगल मरमेलोस (एल)*), भिरा (*क्लोरोक्सिलीन स्वेटेनिया*), बिबा/भिलवा (*सेमेकार्पस एनाकार्डियम*, *लिनन*), बिजा (*टेरोकार्पस-मार्सुपियम*, *राक्सब*), बिस्तेन्दु (*डायोस्पायरोस मोंटाना*, *राक्सब*), बोर/बेर (*ज़िज़िफ़स मौरिटिआना*, *लामक*), चिचवा (*अल्बिजिया ओजोराटिसिमा*, *राक्सब*), धामन (*ग्रेविया टिलिफोलिया (वाहल)*), धौडा (*एनोगेइसस लैटिफोलिया*), धोबन/ सतपुडा (*डलबर्गिया पैनीकुलाटा*, *राक्सब*), दिकामाली (*गार्डेनिया रेसिफेरा*, *रोथ*), गरारी (*क्लिस्तेनिथस कोलिनस*, *रोक्सब*), घोगर/पपड़ा (*गार्डेनिया लैटिफोलिया ऐट*), गोंगल (*कोचलोस्परम रेलिगिओसम लिनन*), हल्डू (*अदीना कॉर्डिफोलिया*), हिंगन (*बालानाइटस इजिपटिका (एल) डेल*). हिवार (*अकाकिया ल्यूकोफोया राक्सब वाइल्ड*), इमली / चिंच (*टमराइन्ड इंडिका*), जम्भुल / जामुन (*सिज़ीगियम क्यूमिनी लिनन*), काला-अंबर (*फ़िकस हिस्पिडा*), कलाम्ब (*मित्राग्याना परविफ्लोरा रोक्सब*), आदि शामिल हैं;

और, प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य में महत्वपूर्ण झाड़ियाँ आल (*मोरिंगा सिट्रिफोलिया लिन*), अगहड़ा (*अचिरन्थस एस्पेरा लिनन*), अकोला (*अलंगियम सालिफोलियम थाइट्स*), बन राहर (*फ्लेमिंगिया सेमियालता राक्सब*), बैबिरंग (*एम्बेलिया रिक्स*), बंकापास/रंकापास (*थेस्पेशिया लैम्पस*), भारती (*मेटेनस इमरगिनाटा बेंथ*), चिंडा सिंधी (*फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस रोक्सब*), चिप्टी (*देसमोडियम पेल्चल्लुम बेंथ*), धवई/जिलबीली (*वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा कुर्ज*), डिकमाली (*गार्डेनिया रेसिफेरा रोथ*), गुरुमुखी / गुरुसुत्री (*ग्रेविया हिरसुता*), गोखरू (*ट्रिबुलस टेरेस्ट्रेस*, *लिनन*), हरसिंगार/खरसुई (*नाईकटान्थस अरबोरट्रीसटीस*), जिने (*लि क्रिस्पा*), रणभेंडी (*डोडोनिया विस्कोसा*), कोरिल (*पेटेलिडियम बैलरियोसाइड्स नीस*), कस्तेरुआ (*ह्यग्रोफिला ऑरिकुलटाटा केचुम*), खिरोती (*ग्रेया हिरसुता वाहल*), कुदरसी (*ब्रिडेलिया हैमिल्टनियाना वाल*), कुदमुदी (*गार्डेनिया गुम्मीफेरा लिनन*), कूडा (*होलेरहेना प्यूबेसेंस (बुच, हैम)*), काला कुड़ा (*राइटिया टिनक्टेरिया*), कुचला (*स्ट्राइकोनोस नक्सवामिका*), लोखंडी (*इक्सोरा आबोरिया रोक्सब*), मोरारफाल (*हेलिटेरेस इसोरा लिनन*), मरुआदोना (*कारविया कैलोसा नेसस*), निर्मली (*स्ट्राइकोनोस पोटेटरम*), नील (*इंडिगोफेरा टिनक्टेरिया*), फेटरा-सफेद (*गारडेनिया टुरगिडा राक्सब*), फेटरा-काला (*टमिलनाडिया उलिगिनोसा (रेटज़)*), तरवाड (*कैसिया ओरिकुलाटा*), टैरोटा (*कैसिया टोरा लिनन*), थुआर (*यूफोरबिया टिरुकैली लिनन*), वारांगल (*केलास्टुस पैनीकुलाटा वाइल्ड*), आदि उपलब्ध हैं;

और, अभयारण्य से घासों और बांस प्रजातियां बाँस-करका (*डेंड्रोक्लामस स्ट्रीक्टस रोक्सब*), बाँस-कटंग (*बंबूसा अरुंडिनेशिया वाइल्ड*), भुरभुसी (*एराग्रोस्टिस टेनेला रोम और शल्फ*), चीर (*इम्पीटा ओफिसिनैलिस*), दुब घास (*साइनाडोन डेक्टाइलोन*), ग़ोनाड (*थेमेडा ट्रिन्डा*), गोधेल (*इराग्रोस्टीस इन्टेराप्टा*), गोरन्ती (*पेटेलिडियम बेरलियोइस*), कुसाल / स्पियर घास (*हेटेरोपोगोन कंटोर्टस लिनन ब्यू*), कटानबहारी (*अरिस्टिडा फनीकुलता*

त्रिनेत्रपा), कुंडा/सुम (ईयूलियोप्सिस विनता रेट्ज़ मार्की), मार्वल-बिग (डीकेंथियम एरिस्टैटम पोइर), मार्वल-स्मॉल (डीकेंथियम एनुलैटम फोर्सेक), मुंज घास (सैकरम स्पोनटेनम), मुशन (इसेलीमा लेक्सम हैक), पैन्या (सेहिमा सुलकैटम हैक अकैमस), शेड (सेहिमा न्यूरोसम स्टाफ), टैचुला/भोंगटा (अप्लुडा म्यूटिका), टाइगर घास (थिसानोलाएना मैक्सिमा), टिखड़ी (सिंबोपोगोन मार्टिनी रॉक्स वाटसन), आदि अभिलिखित की गई हैं; जबकि अभयारण्य की महत्वपूर्ण पर्वतरोहियां बंडके (डेंड्रोपथो फाल्केट लिनन), चिलर (केसलपिनिया डेकापेटाला रॉक्सब), चिल्ली (मिमोसा हेमता वाइल्ड), चिल्ली बडी (अकाकिया टॉर्टा डब्ल्यू एण्ड ए), धिमारवल (सेलास्ट्रस पैनुकुलाटा वाइल्ड), दुधि/नागवेल (क्रिप्टोलेपिस बुचानानी रोएम), एरोनी (ज़िज़िफ़स ओनोप्लेया लिनन), गुंज (अरबस प्रीटोरियस लिनन), गुलवेल (टीनोस्पोरा कॉर्डिफ़ोलिया वाइल्ड), गुरार, नासेवेल (मिलोटिया एक्वास्टा बेकर), कजकुरी (मुकुना प्र्यूरीन्स एल), खाडायनाग (ग्लोरियोसा सुपर्ब), खोबारवेल (हेमाइडसमस इंडिकस लिनन), कुकुरंजी (कैलिकोप्टेरिस फ्लोरिबुन्डा), महूलवेल (बाउहिनिया वाहली वान्ड ए), मुसलीकांड (डायोकोरिया पेंटाफिला लिनन), पपरी, लालवेल (वेंटिलेज डेंटिकुलटा वाइल्ड), पैलेसवेल (ब्यूटिया सुपर्ब रॉक्सब), पिवरवेल (कॉम्ब्रेटम ओवलिफोलियम रॉक्सब), रामदाटन (स्मिलैक्स मैक्रॉफी रॉक्सब, शतोरी (एस्पैरागस सिस्मोसस), आदि हैं;

और, क्षेत्र महत्वपूर्ण वन्यजीव का भी आश्रय प्रदान करता है जिसमें स्तनधारी जैसे मुंजक (मुंटियाकस मुंटजैक), भारतीय भैंसा (बोस गोरस), ब्लू बुल (बोसेलाफस ट्रागोकेमेलस), सामान्य लंगूर (प्रेस्विटिस एंटेल्स), सामान्य मोंगोज (हर्पीस्टेस विटिओलिस), हिरण (एक्सिस एक्सिस), फ्लाइंग गिलहरी (पेटैरिस्टा पेटैरिस्टा), चौसिंगा मृग (टेट्रासेरस क्राडिसोर्निस), विशाल गिलहरी (रतूफा इंडिका), खरगोश (लेपस रुफिकुडाटस), भारतीय लोमड़ी (वुलप्स बेंगालेंसिस), भारतीय भेड़िया (कैनिस लुपस), सियार (कैनिस ऑरियस), जंगल बिल्ली (फेलिस चाउस), तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), बंदर, रीसस मैकाक (मैकाका मुलाटा), माउस डियर (ट्रागुलस मेमिना), ओटर (लुट्रा परसपिसिलाटा), पेंगोलिन (मैनिस क्रसिकाप्टाटा), साही, भारतीय क्रेस्टेड साही, भारतीय साही (हिस्ट्रेक्स इंडिका), सांभर (कर्वस यूनिकोलर), रीछ (मेलुरस अरसिनस), छोटी भारतीय सिवेट (विवरिकुला इंडिका), धारीदार लकड़बग्घा (हेयना हेयना), ट्री श्रेव, इंडियन ट्री श्रेव (अनाथाना इलियोटी), जंगली सूअर (सुस क्रिटेटस), जंगली भैंस (बुबलस बुबलिस), जंगली कुत्ता (क्यून अल्पिनस), आदि शामिल हैं। अभयारण्य से सरीसृप गिरगिट (चैमेलिओन कैकैरैटस), फैन थ्रोटेड छिपकली (साइटाना पोटेसरिआना), मॉनिटर छिपकली (वारानस ग्रिसेसस), रॉक अगमा (सामोफिलस डोरसालिस), बैंडेड क्रेट (बुंगेरस फैसिअसटस), सामान्य करैत (बंगरंग कैस्यूलस), कॉमन वाइन स्लेक (अबैटुला लैसुटाला), ग्रीन कीलबैक (मैक्रोपिसथोडन प्लंबिकोलर), कोबरा (नाज़ा नाज़ा), रैट स्लेक (पाइटस म्यूकोसस), रसेल वाइपर (वाइपेरा रुसेली), सा स्केल्ड वाइपर (इचिस कैरिनैटस), आदि अभिलिखित किए गए हैं;

और, प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य पक्षी की प्रजातियों के साथ पक्षी-जीव के लिए जाना जाता है जिसमें आशि प्रिनिया (प्रिनिया सोशियालिस), एशियन कोयल (यूडोनॉइमिस स्कोलोपेसस), एशियन पैराडाईस फ्लाइकैचर (टेरसिपफोन पैराडाइज), बार हेडेड गूज (एनसर इंडिकस), वे बैकज श्राइक (लैनिस विट्टैटस), ब्लैक ड्रोंगो (डिकरुरस मैक्रोक्यूरकस), ब्लैक इबिस (सेडिबिस पैपिलोसा), ब्लैक नेण्ड मोनार्क (हाइपोथिमिस एज्यूरिया), ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट (हिमांटोपस हिमांटोपस), ब्लू जे (कोरैसिअस बेंगालेंसिस), ब्राह्मिणी मैना (स्टर्निया पैगोडोरम), मवेशी एगरेट (बुबुलकस इबिस कोरोमंडस), क्लोरोप्सिस (क्लोरोप्सिस कोचिनचिनेंसिस), सामान्य कबूतर (स्टिग्माटोफिला चिनेंसिस), सामान्य मैना (अक्रिडोथेरेस ट्रिस्टिस), क्रो फिजंट (सेन्ट्रोपस सिनेंसिस), ग्रे जंगल फाउल (गैलस सोनरट्टी), जंगल कौवा (कोरवस मैक्रोरिनचोस), हाउस गौरैया (पासेर डामेस्टिकस), चित्तीदार उल्लू (एथेन ब्रामा), वाइट गिद्ध (जिप्स सिग्रस), रोज रिंग्ड पैराकिट (सिटसुला क्रेमेरी), आदि शामिल हैं;

और, प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य पक्षी की प्रजातियों के साथ पक्षी-जीव के लिए जाना जाता है जिसमें आशि प्रिनिया (प्रिनिया सोशियालिस), एशियन कोयल (यूडोनाईमिस स्कोलोपेसस), एशियन पैराडाईस फ्लाईकैचर (टेरसिपफोन पैराडाइज), बार हेडेड गूज (एनसर इंडिकस), वे बैकज श्राइक (लैनिअस विट्टैटस), ब्लैक ड्रोंगो (डिकरुरस मैक्रोक्यूरकस), ब्लैक इबिस (सेडिबिस पैपिलोसा), ब्लैक नेप्ड मोनार्क (हाइपोथिमिस एज्यूरिया), ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट (हिमांटोपस हिमांटोपस), ब्लू जे (कोरैसिअस बेंगालेंसिस), ब्राह्मिणी मैना (स्टर्निया पैगोडोरम), मवेशी एगरेट (बुबुलकस इबिस कोरोमंडस), क्लोरोप्सिस (क्लोरोप्सिस कोचिनचिनेंसिस), सामान्य कबूतर (स्टिग्माटोफिला चिनेंसिस), सामान्य मैना (अक्रिडोथेरेस ट्रिस्टिस), क्रो फिजंट (सेन्द्रोपस सिनेंसिस), ग्रे जंगल फाउल (गैलस सोनरट्टी), जंगल कौवा (कोरवस मैक्रोरिनचोस), हाउस गौरैया (पासेर डामेस्टिकस), चित्तीदार उल्लू (एथेन ब्रामा), वाइट गिद्ध (जिप्स सिग्रस), रोज रिंग्ड पैराकिट (सिटसुला क्रेमेरी), आदि शामिल हैं;

और, प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिला के प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 6.300 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 6.300 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 532.10 वर्ग किलोमीटर है।

(पारिस्थितिकी संवेदी जोन की शून्य सीमा पश्चिमी भाग की ओर तेलंगाना राज्य सीमा और प्रणहिता नदी के कारण है।)

(2) प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध-I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन दर्शाने वाले प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग और उपाबंध-IIघ के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा:-
- (i) पर्यावरण;
  - (ii) वन और वन्यजीव;
  - (iii) कृषि;
  - (iv) राजस्व;
  - (v) शहरी विकास;
  - (vi) पर्यटन;
  - (vii) ग्रामीण विकास;
  - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
  - (ix) नगरपालिका;
  - (x) पंचायती राज;
  - (xi) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
  - (xii) लोक निर्माण विभाग।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और विद्यमान भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी सहायक मानचित्र द्वारा दिया जाएगा।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और पैरा 4 की सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ 4 में उल्लिखित क्रियाकलाप;

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्विधित किया गया हो।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की बहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-
- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
- तथापि, पारिस्थितिकी-पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;
- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) प्राकृतिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जिन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।
- (7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) बहिस्त्राव का निस्सारण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों जो भी अधिक कठोर हो के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।
- (15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।
- (16) औद्योगिक ईकाइयां.- (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।
- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;
- (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।



4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

**सारणी**

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
<b>कप्रतिषिद्ध . क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाईयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए घरों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या घरों या अन्य क्रियाकलापों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा;  (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोदाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त , 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुसरण में किया जायेगा ।
2.	प्रदूषण जल), वायु, मृदा, ध्वनि आदि( उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी:  जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न होपारिस्थितिकी संवेदी , 2016 ,जोन में फरवरीमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर - प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।

7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (त के सिवाय अन्यथा उपबंधित) होंगे।
8.	नई काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	नये काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
11.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके

		अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार बिछाने-तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	न्यूनीकरण उपाय लागू विधियों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	न्यूनीकरण उपाय लागू विधियों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
22.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
23.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगा।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
25.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	पवन चक्कियाँ और टरबाइन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
<b>ग.संबंधित क्रियाकलाप</b>		
31.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग, आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस यासौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दि ,जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागवानी और वनौषधियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार पर्यावरण , 1986 ,यमअधिनि (संरक्षण)की धारा 3 की उपधारा (3)के तहत इस अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए एतद्वारा एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र.सं .	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर, गढ़चिरौली	अध्यक्षपदेन ,;
(ii)	मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), गढ़चिरौली	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैरसरकारी संगठन का प्रतिनिधि-	सदस्य;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(v)	टाउन प्लानिंग ऑफिस, गढ़चिरौली का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(viii)	जैव विविधता बोर्ड एम. एस. नागपुर के एक प्रतिनिधि,	सदस्य;
(ix)	उप वन संरक्षक, सिरोंचा	सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

- (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों की इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर वास्तविक

विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल-विशिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
  - (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
  - (6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
  - (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार उस वर्ष, की जून तक 30 प्रस्तुत करेगी।
  - (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार यदि , उपायअतिरिक्त , कर सविनिर्दिष्ट , कोई होंकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/24/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

#### उपाबंध-1


महाराष्ट्र राज्य में प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा सिरोंचा वन संभाग के चरम उत्तर पश्चिमी भाग से आरंभ होती है और सिरोंचा और अल्लापल्ली वन संभाग की बाहरी सीमा बनाकर पूर्वी दिशा की ओर जाती है। यह कोलपल्ली एम ग्राम के उत्तर पश्चिमी कोण में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके अतिरिक्त यह उस ग्राम की उत्तरी सीमा और आधे रास्ते के साथ जाती है, नन्दीगांव ग्राम की उत्तरी सीमा को आच्छादित करके पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद तिमाराम ग्राम के निकट, यह दक्षिण की ओर मुड़कर और दक्षिणी सीमा से तिमाराम ग्राम को आच्छादित करता है और इसके अतिरिक्त पूर्व की ओर और दक्षिण पूर्व दिशा से होकर रायगढ़ा ग्राम की पूर्वी सीमा से मुड़ती है। यह चल्लेवाड़ा ग्राम की पश्चिमी सीमा के आड़े-तिरछे जाती है।

तातिगुडुम ग्राम की पश्चिमी सीमा पर, यह यू टर्न लेती है और तातिगुडुम ग्राम की उत्तर पूर्व सीमा और गोटेलिंगमपल्ली ग्राम की उत्तरी सीमा की ओर जाती है। केपी037 कम्पार्टमेंट को पार करने के बाद, यह दक्षिण-पूर्व दिशा में जाती है; केपी038 और केपी059 की पश्चिमी सीमा को आच्छादित करने के बाद, यह कोलमार्का संरक्षण रिज़र्व की पश्चिमी सीमा के साथ मिलती है और यह केपी043 और डीपी028 कम्पार्टमेंट की पूर्वी सीमा बनाकर दक्षिण की ओर मुड़ती है। पट्टीगांव ग्राम की पश्चिमी सीमा पर, यह पश्चिम की ओर मुड़ती है और लखानगूदा ग्राम की पश्चिमी सीमा पर आच्छादित करती है जहां यह रेदरंगा, मेदपल्ली और जिम्मलगट्टा एस ग्रामों के उत्तरी सीमा बनाकर एफडीसीएम कम्पार्टमेंटों जेपी263, जेए058 और जेए057 की उत्तरी सीमा और जेए086 और जेए085 और एफडीसीएम कम्पार्टमेंट जेपी35 और जेपी33 की उत्तरी सीमा को आच्छादित करके उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है। अब, यह कम्पार्टमेंट जेपी252, जेपी 253, जेपी 331, जेपी 339 और एसए068 की पश्चिमी सीमा बनाकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। यह इसके बाद एसए 056, एसए 057 और एसए 052 की पश्चिमी सीमा को आच्छादित करके पश्चिम-दक्षिण दिशा में जाती है। इसके बाद यह रोमपल्ली ग्राम की उत्तरी सीमा बनाकर उत्तर की ओर मुड़ती है और मदराम, कम्बलपेठा आरवाई. की दक्षिणी सीमा बनाकर पश्चिम दक्षिण मुड़ती है। इसके बाद यह कम्बलपेठा चाक ग्राम की पूर्वी सीमा बनाकर दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ती है और उसी ग्राम की पश्चिमी सीमा को बनाकर यू टर्न आकार में जाती है। इसके अतिरिक्त यह कम्बलपेठा और बोरमपल्ली मल ग्रामों की दक्षिणी सीमा के बीच में पूर्व की ओर मुड़ती है। यह टेकदा ताला ग्रामों की पूर्वी सीमा पर दक्षिण की ओर मुड़ने से पहले बोरमपल्ली मल की दक्षिणी सीमा को आच्छादित करती है और उसी ग्राम की दक्षिणी सीमा को आच्छादित करके ग्लोसफर्ड पेठा ग्राम के उत्तर पश्चिमी कोण में प्रणहिता नदी से मिलती है।

इसके अतिरिक्त, चिकियाला ग्राम के नदी के सामने सीमा पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर दिशा में जाती है, पुनः रेगुनथा मल के नदी के सामने सीमा उत्तर की ओर जाती है। इसके अतिरिक्त सोयाबीनपेठा के नदी के सामने सीमा पर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है, पुनः अवलमरी ग्राम के नदी के सामने सीमा पर उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ती है और वत्रा खुर्द एम ग्राम के नदी के सामने सीमा पर उत्तर की ओर मुड़कर और सिरौंचा वन संभाग के चरम उत्तर पश्चिमी कोण से मिलती है।


उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- IIख


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के ग्राम सीमा को दर्शाने वाले पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र






## उपाबंध- IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कम्पार्टमेंट सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र



## उपाबंध-III

सारणी क: प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू निर्देशांक-

प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के भूनिर्देशांक-

क्र.सं .	अक्षांश	देशांतर
1.	उ 19°17'45.349"	पू 79°58'07.647"
2.	उ 19°17'05.172"	पू 79°58'53.635"
3.	उ 19°16'32.909"	पू 79°59'59.102"
4.	उ 19°17'35.589"	पू 80°00'37.681"
5.	उ 19°16'52.849"	पू 80°01'17.541"
6.	उ 19°16'32.076"	पू 80°02'37.262"
7.	उ 19°16'19.431"	पू 80°04'07.695"
8.	उ 19°15'35.040"	पू 80°05'08.534"
9.	उ 19°14'50.656"	पू 80°05'46.652"
10.	उ 19°14'33.536"	पू 80°06'30.781"
11.	उ 19°13'26.374"	पू 80°06'36.735"
12.	उ 19°12'24.083"	पू 80°07'04.114"
13.	उ 19°11'56.791"	पू 80°07'35.797"
14.	उ 19°11'02.651"	पू 80°07'44.324"
15.	उ 19°10'57.309"	पू 80°08'52.003"
16.	उ 19°11'07.001"	पू 80°10'19.831"
17.	उ 19°10'14.869"	पू 80°10'53.616"
18.	उ 19°09'08.107"	पू 80°11'04.250"
19.	उ 19°09'43.066"	पू 80°11'47.478"

20.	उ 19°10'47.768"	पू 80°12'00.478"
21.	उ 19°11'40.238"	पू 80°12'33.100"
22.	उ 19°11'26.746"	पू 80°13'24.491"
23.	उ 19°08'08.624"	पू 80°11'58.573"
24.	उ 19°08'36.830"	पू 80°09'57.404"
25.	उ 19°08'29.997"	पू 80°08'12.043"
26.	उ 19°08'17.455"	पू 80°06'16.401"
27.	उ 19°07'44.944"	पू 80°04'31.462"
28.	उ 19°07'41.720"	पू 80°02'56.392"
29.	उ 19°06'10.957"	पू 80°02'38.811"
30.	उ 19°06'12.195"	पू 80°01'02.472"
31.	उ 19°05'38.414"	पू 79°59'57.390"
32.	उ 19°04'37.360"	पू 80°00'22.220"
33.	उ 19°03'31.006"	पू 80°01'41.409"
34.	उ 19°02'22.218"	पू 80°01'45.249"
35.	उ 19°01'32.970"	पू 80°01'27.266"
36.	उ 19°02'10.014"	पू 80°00'32.487"
37.	उ 19°02'43.391"	पू 79°59'29.141"
38.	उ 19°02'16.527"	पू 79°59'21.866"
39.	उ 19°01'08.960"	पू 79°59'34.281"
40.	उ 19°00'08.311"	पू 79°59'05.614"
41.	उ 19°00'31.504"	पू 79°58'05.702"

42.	उ 19°04'04.342"	पू 79°55'44.822"
43.	उ 19°05'07.832"	पू 79°55'30.667"
44.	उ 19°05'53.401"	पू 79°54'49.115"
45.	उ 19°06'36.956"	पू 79°54'53.803"
46.	उ 19°07'33.141"	पू 79°55'28.889"
47.	उ 19°07'24.619"	पू 79°56'43.832"
48.	उ 19°08'35.444"	पू 79°56'52.374"
49.	उ 19°09'21.863"	पू 79°58'11.597"
50.	उ 19°10'21.289"	पू 79°58'11.586"
51.	उ 19°11'36.993"	पू 79°57'56.578"
52.	उ 19°13'02.052"	पू 79°57'16.713"
53.	उ 19°14'07.582"	पू 79°57'15.409"
54.	उ 19°15'20.042"	पू 79°58'02.103"
55.	उ 19°16'16.610"	पू 79°57'24.803"
56.	उ 19°16'16.610"	पू 79°57'24.803"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू निर्देशांक-

क्र.सं .	देशांतर	अक्षांश	बिंदु आई डी
1	79° 57' 46.624" पू	19° 19' 18.974" उ	ए
2	80° 00' 53.319" पू	19° 19' 08.039" उ	बी
3	80° 01' 53.162" पू	19° 18' 20.594" उ	सी
4	80° 05' 00.930" पू	19° 18' 06.981" उ	डी
5	80° 06' 06.757" पू	19° 16' 33.116" उ	ई
6	80° 07' 43.390" पू	19° 16' 55.992" उ	एफ
7	80° 10' 25.592" पू	19° 12' 16.447" उ	जी
8	80° 11' 29.342" पू	19° 13' 41.875" उ	एच

9	80° 14' 20.520" पू	19° 13' 10.396" उ	आई
10	80° 14' 42.264" पू	19° 10' 50.662" उ	जे
11	80° 13' 34.057" पू	19° 08' 41.469" उ	के
12	80° 14' 35.527" पू	19° 09' 06.413" उ	एल
13	80° 13' 58.016" पू	19° 06' 36.328" उ	एम
14	80° 11' 41.949" पू	19° 05' 42.272" उ	एन
15	80° 11' 46.287" पू	19° 05' 00.563" उ	ओ
16	80° 09' 36.987" पू	19° 06' 47.033" उ	पी
17	80° 08' 02.663" पू	19° 06' 51.279" उ	क्यू
18	80° 07' 36.293" पू	19° 05' 50.827" उ	आर
19	80° 04' 51.785" पू	19° 05' 50.920" उ	एस
20	80° 04' 42.978" पू	19° 04' 40.027" उ	टी
21	80° 02' 35.772" पू	19° 04' 35.899" उ	यू
22	80° 03' 50.315" पू	19° 03' 31.236" उ	वी
23	80° 03' 48.101" पू	19° 02' 37.021" उ	डब्ल्यू
24	80° 05' 11.403" पू	19° 01' 53.198" उ	एक्स
25	80° 05' 28.903" पू	19° 00' 40.207" उ	वाई
26	80° 03' 01.988" पू	18° 58' 58.088" उ	जेड
27	80° 02' 02.822" पू	19° 00' 19.425" उ	एए
28	80° 00' 48.281" पू	18° 59' 21.048" उ	बीबी
29	80° 00' 32.934" पू	18° 58' 26.833" उ	सीसी
30	79° 59' 49.098" पू	18° 58' 35.175" उ	डीडी
31	79° 58' 08.274" पू	18° 58' 28.910" उ	ईई
32	79° 58' 01.704" पू	18° 57' 59.716" उ	एफएफ
33	79° 57' 24.455" पू	18° 57' 18.003" उ	जीजी
34	79° 56' 14.208" पू	19° 02' 30.766" उ	एचएच
35	79° 52' 17.400" पू	19° 02' 24.388" उ	आई आई
36	79° 51' 48.683" पू	19° 06' 42.932" उ	जे जे
37	79° 56' 38.170" पू	19° 10' 17.857" उ	के के
38	79° 55' 41.015" पू	19° 14' 09.291" उ	एल एल

## उपाबंध-IV

भू निर्देशांकों के साथ प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य-के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की

## सूची

क्र.सं .	ग्राम	देशांतर	अक्षांश
1	2	3	4
1.	देवलमरी एस	पू 79° 58' 27.354"	उ 19° 17' 53.110"

2.	कतेपल्ली एस	पू 80° 00' 00.501"	उ 19° 18' 11.124"
3.	कोलापल्ली एम	पू 80° 01' 33.645"	उ 19° 17' 44.305"
4.	नंदीगांव एम	पू 80° 03' 55.680"	उ 19° 17' 41.869"
5.	तिमाराम एस	पू 80° 05' 14.473"	उ 19° 17' 01.417"
6.	गुडीगुडम	पू 80° 04' 45.802"	उ 19° 16' 35.419"
7.	तिमाराम एम	पू 80° 05' 31.065"	उ 19° 16' 33.513"
8.	रायगट्टा	पू 80° 07' 03.106"	उ 19° 15' 43.700"
9.	गोलकरजी	पू 80° 07' 03.106"	उ 19° 14' 43.293"
10.	छलेलेवाडा पीटी	पू 80° 09' 21.639"	उ 19° 13' 09.947"
11.	रेपनपल्ली	पू 80° 09' 04.273"	उ 19° 11' 27.114"
12.	टाटीगुडम	पू 80° 10' 42.468"	उ 19° 12' 18.249"
13.	कमलपुर	पू 80° 11' 54.900"	उ 19° 12' 00.567"
14.	गोटलिंगमपल्ली	पू 80° 12' 48.068"	उ 19° 13' 13.341"
15.	कोलामार्क	पू 80° 11' 54.900"	उ 19° 12' 18.249"
16.	मोदुमडगू	पू 80° 11' 29.106"	उ 19° 10' 34.955"
17.	लिंगमपल्ली	पू 80° 11' 29.106"	उ 19° 09' 34.136"
18.	पट्टीगांव एम पीटी	पू 80° 13' 05.705"	उ 19° 07' 10.352"
19.	येदमपल्ली	पू 80° 12' 06.814"	उ 19° 07' 53.239"
20.	अरकापल्ली	पू 80° 10' 05.987"	उ 19° 08' 07.367"
21.	गुदेरा एस	पू 80° 09' 07.898"	उ 19° 08' 27.427"
22.	गोविंदगाँव	पू 80° 07' 29.726"	उ 19° 07' 04.662"
23.	येनकाबांडा	पू 80° 06' 03.419"	उ 19° 07' 07.516"
24.	करनचा एस	पू 80° 03' 13.737"	उ 19° 06' 33.972"
25.	भासवापुर	पू 80° 02' 48.458"	उ 19° 05' 25.146"
26.	मरपल्ली	पू 80° 02' 10.153"	उ 19° 05' 30.357"
27.	जोगनगुडा	पू 80° 02' 16.031"	उ 19° 04' 24.324"
28.	सुदगदुगम	पू 80° 02' 56.847"	उ 19° 03' 43.095"
29.	सिलमपल्ली	पू 80° 01' 16.271"	उ 19° 05' 32.366"
30.	तिमाराम	पू 80° 01' 06.689"	उ 19° 04' 45.144"
31.	डबबागुडम	पू 80° 00' 10.602"	उ 19° 05' 04.357"
32.	मोटुकपल्ली एस	पू 79° 59' 56.711"	उ 19° 05' 04.357"
33.	बोगाटागुडम	पू 79° 53' 32.738"	उ 19° 07' 13.105"
34.	बॉन्ड्रा	पू 79° 53' 11.252"	उ 19° 07' 33.102"
35.	पेदिगुडम	पू 79° 53' 50.817"	उ 19° 07' 53.535"
36.	जेंडा	पू 79° 54' 14.807"	उ 19° 08' 09.956"
37.	लैंकाचेन एस	पू 79° 55' 21.334"	उ 19° 08' 11.988"

38.	लंकाचेन एम	पू 79° 55' 17.488"	उ 19° 08' 39.996"
39.	केर्नेली एम	पू 79° 56' 02.995"	उ 19° 09' 14.033"
40.	केर्नेली एस	पू 79° 56' 38.365"	उ 19° 09' 23.650"
41.	भीमाराम एम	पू 79° 57' 30.171"	उ 19° 08' 46.046"
42.	व्यंकटापुर एस	पू 79° 57' 16.253"	उ 19° 10' 08.881"
43.	व्यंकटापुर एम	पू 79° 57' 46.712"	उ 19° 10' 29.235"
44.	अवलमरी	पू 79° 56' 58.542"	उ 19° 11' 22.111"
45.	वत्रा ख एस	पू 79° 55' 55.736"	उ 19° 13' 18.545"
46.	वत्रा ख एम	पू 79° 55' 42.246"	उ 19° 13' 38.549"
47.	वत्रा बीके एस	पू 79° 56' 16.341"	उ 19° 15' 00.199"
48.	वत्रा बीके एम	पू 79° 56' 59.729"	उ 19° 15' 34.628"
49.	देवलमरी एम	पू 79° 57' 00.126"	उ 19° 16' 56.666"
50.	मदाराम राय	पू 80° 01' 15.391"	उ 19° 00' 29.020"
51.	बेजुर्पल्ली	पू 79° 59' 44.847"	उ 19° 01' 25.686"
52.	जार्जपेटा	पू 79° 59' 17.575"	उ 19° 02' 32.084"
53.	कम्बापेटा राय	पू 79° 59' 46.196"	उ 18° 59' 23.792"
54.	कम्बलपेटा चक	पू 79° 59' 55.451"	उ 18° 59' 06.184"
55.	बोरमपल्ली माल	पू 79° 58' 51.511"	उ 18° 58' 40.568"
56.	नेमाडा	पू 79° 58' 44.355"	उ 18° 59' 12.183"
57.	टेकडा चक	पू 79° 57' 59.762"	उ 18° 59' 13.377"
58.	टेकडा ताल	पू 79° 57' 37.475"	उ 18° 58' 33.753"
59.	मोकेला	पू 79° 57' 34.936"	उ 18° 59' 36.983"
60.	जाफराबाद डब्ल्यू .एल	पू 79° 57' 07.168"	उ 18° 59' 41.779"
61.	जाफराबाद चक	पू 79° 58' 05.225"	उ 18° 59' 47.394"
62.	चिकयाला	पू 79° 55' 43.353"	उ 19° 03' 23.059"
63.	परसेवाडा	पू 79° 55' 26.496"	उ 19° 04' 13.476"
64.	रमन्नापेटा रे	पू 79° 54' 49.877"	उ 19° 04' 14.661"
65.	पीरामेडा	पू 79° 54' 54.099"	उ 19° 03' 49.451"
66.	येल्लामा	पू 79° 54' 38.965"	उ 19° 03' 16.228"
67.	विथालरावपेटा डब्ल्यूएल .	पू 79° 53' 41.290"	उ 19° 03' 44.211"
68.	रेगुन्था माल	पू 79° 53' 04.288"	उ 19° 02' 52.964"
69.	रेगुन्था चक	पू 79° 52' 26.391"	उ 19° 03' 22.153"
70.	चंदाराम चक	पू 79° 52' 11.231"	उ 19° 03' 33.748"
71.	विठ्ठलारोपेत मल	पू 79° 52' 40.256"	उ 19° 03' 53.378"
72.	चंदाराम मल	पू 79° 52' 06.568"	उ 19° 04' 15.365"
73.	विठ्ठलारोपेता चक	पू 79° 53' 00.853"	उ 19° 04' 31.809"



74.	नरसय्यपल्ली	पू 79° 54' 06.920"	उ 19° 04' 57.860"
75.	कोट्टपल्ली मल	पू 79° 52' 32.182"	उ 19° 05' 36.621"
76.	सोयाबीनपेटा	पू 79° 52' 24.975"	उ 19° 06' 43.848"

## उपाबंध-V

## की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त:(कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2020

**S.O. 637(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

## Draft Notification

**WHEREAS**, the Pranhita Wildlife Sanctuary is located in Gadchiroli Districts of Maharashtra. The Sanctuary was notified *vide* notification of the State Government of Maharashtra number WLP - 0514/CR-106/F-I - dated the 27<sup>th</sup> August, 2014; and the Sanctuary area is having adequate ecological, faunal, floral, geomorphologic, natural and zoological significance. The total area of the Sanctuary is 420.0 square kilometers;

**AND WHEREAS**, the area has very high faunal and floral diversity with about 22 species of mammals, about 12 species of reptiles and many species of amphibian. The flora of this area is represented by "3B/Cib: South Indian Moist Deciduous Forests and ii) 5A/Southern Tropical Dry Deciduous Forests" including species like, achar/ char/charoli (*Buchanania lanzan*), amaltas/bahava (*Cassia fistula*, Linn), amta (*Bauhinia malabarica*, Roxb), anjan (*Hardwickia binata*, Roxb), apta (*Bauhinia racemosa*, Lamk), aonla (*Emblia officinalis*), arjun (*Terminalia arjuna*), babul (*Acacia nilotica* Linn), beheda (*Terminalia bellirica*, Gaertn), bel

(*Aegle marmelos* (L)), bhirra (*Chloroxylon swietenia*), biba/Bhilwa (*Semecarpus anacardium*, Linn), bija (*Pterocarpus marsupium*, Roxb), bistendu (*Diospyros montana*, Roxb), bor/Ber (*Zizyphus mauritiana*, Lamk), chichwa (*Albizia odoratissima*, Roxb), dhaman (*Grewia tilifolia* (vahl), dhaoda (*Anogeissus latifolia*), Dhoban/Satpuda (*Dalbergia paniculata*, Roxb), dikamali (*Gardenia resinifera*, Roth), garari (*Cleistanthus collinus*, Roxb), ghogar/papda (*Gardenia latifolia* Ait), gongal (*Cochlospermum religiosum* Linn), haldu (*Adina cordifolia*), hingan (*Balanites aegyptica* (L)Del), hiwar (*Acacia leucophloea* Roxb Willd), Imli/Chinch (*Tamarind indica*), jambhul/jamun (*Syzgium cumini* Linn), kala-umber (*Ficus hispida*), kalamb (*Mitragyna parviflora* Roxb), etc;

**AND WHEREAS**, important shrubs available in the Pranhita Wildlife Sanctuary are aal (*Moringa citrifolia* Lin), aghada (*Achyranthus aspera* Linn), akola (*Alangium salvifolium* Thwaites), ban rahar (*Flemingia semialata* Roxb), baibirang (*Embelia ribes*), bankapas/Rankapas (*Thespesia lamps*), bharati (*Maytenus emarginata* Benth), chind/Sindhi (*Phoenix sylvestris* Roxb), chipti (*Desmodium pulchellum* Benth), dhawai/Jilbili (*Woodfordia fruticosa* Kurz), dikamali (*Gardenia resinifera* Roth), gurmukhi/gursukri (*Grewia hirsuta*), Gokhru (*Tribulus terrestris*, Linn), harsingar/Kharsui (*Nyctanthus arbortristis*), Jine (*Leea crispa*), Ranbhendi (*Dodonea viscosa*), Koril (*Petalidium barlerioides* nees), Kasterua (*Hygrophila auriculata* kSchum), kharoti (*Grewia hirsuta* vahl), kudursi (*Bridelia hamiltoniana* wall), kudmudi (*Gardenia gummifera* Linn), kuda (*Holarrhena pubescens* (Buch, Ham), kala kuda (*Wrightia tinctoria*), kuchala (*Strychnos nuxvomica*), lokhandi (*Ixora arborea* Roxb), Morarphal (*Helicteres isora* Linn), maruadona (*Carvia callosa* Ness), nirmali (*Strychnos potatorum*), Neel (*Indigofera tinctoria*), Phetra-safed (*Gardenia turgida* Roxb), phetra-kala (*Tamilnadia uliginosa* (Retz), tarwad (*Cassia auriculata*), tarota (*Cassia tora* Linn), thuar (*Euphorbia tirucalli* Linn), warangal (*Celastrus paniculata* Willd), etc;

**AND WHEREAS**, grasses and bamboo species recorded from the Sanctuary are Bamboo-karka (*Dendrocalamus strictus* Roxb), Bamboo-katang (*Bambusa arundinacea* Willd), bhurbhusi (*Eragrostis tenella* Roem & Schulf), chir (*Imperata officinalis*), doob grass (*Cyanodon dactylon*), ghonad (*Themeda triandra*), godhel (*Eragrostis interapta*), goranti (*Petalidium barlerioides*), kusal/spear grass (*Heteropogon contortus* Linn Beau), katanbahari (*Aristida funiculata* Trinetrupa), kunda/sum (*Eulaliopsis binata* Retz Mark), marvel-big (*Dicanthium aristatum* poir), marvel-small (*Dicanthium annulatum* Forsek), moonj grass (*Saccharum spontaneum*), mushan (*Iseilema laxum* hack), paonya (*Sehima sulcatum* Hack Acamus), sheda (*Sehima nervosum* staff), tachula/bhongta (*Apluda mutica*), tiger grass (*Thysanolaena maxima*), tikhadi (*Cymbopogon martinii* Roxb Watson), etc; While important climbers of the Sanctuary are bandke (*Dendrophloe falcate* Linn), chilar (*Caesalpinia decapetala* Roxb), chilati (*Mimosa hamata* Willd), chilati badi (*Acacia torta* W & A), dhimarval (*Celastrus paniculata* Willd), dudhi/Nagvel (*Cryptolepis buchanani* Roem), eroni (*Zizyphus oenoplia* Linn), Gunj (*Arbus precatorius* Linn), gulvel (*Tinospora cordifolia* Willd), gurar, nasvel (*Millotia extensa* Baker), kajkuri (*Mucuna pruriens* L), Khadyanag (*Gloriosa superba*), Khobarvel (*Hemidesmus indicus* Linn), kukuranji (*Calycopteris floribunda*), Mahulvel (*Bauhinia vahlii* Wand A), musalikand (*Dioscorea pentaphylla* Linn), papri, lalvel (*Ventilage denticulata* Willd), palasvel (*Butea superba* Roxb), Piwarvel (*Combretum ovalifolium* Roxb), ramdaton (*Smilax macrophylla* Roxb), shataori (*Asparagus recemosus*), etc;

**AND WHEREAS**, the area also supports important wildlife including mammal such as barking deer (*Muntiacus muntjak*), Indian bison (*Bos gaurus*), Blue bull (*Boselaphus tragocamelus*), common langur (*Presbytis entellus*), common mongoose (*Herpestes vittiolis*), deer (*Axis axis*), flying squirrel (*Petaurista petaurista*), four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), giant squirrel (*Ratufa indica*), hare (*Lepus ruficaudatus*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), Indian wolf (*Canis lupus*), jackal (*Canis aureus*), jungle cat (*Felis chaus*), leopard (*Panthera pardus*), monkey, Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), Mouse deer (*Tragulus meminna*), otter (*Lutra perspicillata*), pangolin (*Manis crassicaudata*), porcupine, Indian crested porcupine, Indian porcupine (*Hystrix indica*), sambar (*Cervus unicolor*), sloth bear (*Melursus ursinus*), small Indian civet (*Vivericulla indica*), striped hyaena (*Hyaena hyaena*), tree shrew, Indian tree shrew (*Anathana ellioti*), wild boar (*Sus cristatus*), wild buffalo (*Bubalus bubalis*), wild dog (*Cuon alpinus*), etc. The reptiles recorded from the Sanctuary are chameleon (*Chameleon cakarats*), fan throated lizard (*Sitana ponticeriana*), monitor lizard (*Varanus grisesus*), rock agama (*Psammophilus dorsalis*), banded krait (*Bungarus fasciatus*), common krait (*Bungarus caeruleus*), common vine snake (*Abaetulla nasutala*), green keelback (*Macropisthodan plumbicolor*), cobra (*Naja naja*), rat snake (*Ptyas mucosus*), Russell's viper (*Vipera russelli*), saw scaled viper (*Echis carinatus*), etc;

**AND WHEREAS**, the Pranhita Wildlife Sanctuary is known for avifauna with species of birds including ashy prinia (*Prinia socialis*), Asian koel (*Eudynamis scolopaceus*), Asian paradise flycatcher (*Terpsiphone paradise*), bar headed goose (*Anser indicus*), bay backed shrike (*Lanius vittatus*), black drongo (*Dicrurus macrocerus*), black Ibis (*Pseudibis papillosa*), black napped monarch (*Hypothymis azurea*), black winged stilt (*Himantopus himantopus*), blue Jay (*Coracias benghalensis*), brahmuni myna (*Sturnia pagodarum*), cattle egret (*Bubulcus ibis coromandus*), chloropsis (*Chloropsis cochinchinensis*), common dove (*Stigmatopila chinensis*), common Myna (*Acridotheres tristis*), crow Pheasant (*Centropus sinensis*), grey jungle fowl (*Gallus*

*soneratti*), jungle crow (*corvus macrorhynchos*), houses sparrow (*Passer domesticus*), spotted owl (*Athene brama*), white backed vulture (*Gyps indicus*), rose ringed parakeet (*Psittacula krameri*), etc;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Pranhita Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 6.300 kilometre around the boundary of Pranhita Wildlife Sanctuary, in Gadchiroli district in the State of Maharashtra as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of zero to 6.300 kilometre around the boundary of Pranhita Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 532.10 square kilometres.
  - (2) The boundary description of Pranhita Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
  - (3) The maps of the Pranhita Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID**.
  - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Pranhita Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III**.
  - (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
  - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
    - (i) Environment;
    - (ii) Forest and Wildlife;
    - (iii) Agriculture;
    - (iv) Revenue;
    - (v) Urban Development;
    - (vi) Tourism;
    - (vii) Rural Development;
    - (viii) Irrigation and Flood Control;
    - (ix) Municipal;
    - (x) Panchayati Raj;
    - (xi) Maharashtra State Pollution Control Board; and
    - (xii) Public Works Department.
  - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by the State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
  - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
  - (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
  - (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
  - (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
  - (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
  - (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
    - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
    - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
  - (10) **Bio-Medical Waste.**— Bio Medical Waste Management shall be as under:-

- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016;
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:  Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
10.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
<b>B. Regulated Activities</b>		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:  Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		<p>sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.



S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Wind mills and turbines.	Regulated as per the applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Gadchiroli	Chairman, ex officio
(ii)	Chief Conservator of Forests (Territorial), Gadchiroli	Member;
(iii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member;
(v)	A representative of the Town Planning office, Gadchiroli	Member;
(vi)	A representative of the Department of Environment, Government of	

	Maharashtra	
(vii)	One expert in Ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case	Member;
(viii)	A representative of Biodiversity Board, M. S. Nagpur	Member; and
(ix)	Deputy Conservator of Forests, Sironcha	Member-Secretary.

**6. Terms of reference.**—(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/24/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

## ANNEXURE- I

**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECOSENSITIVE ZONE AROUND PRANHITA WILDLIFE  
SANCTUARY IN THE STATE MAHARASHTRA**

Eco-sensitive Zone boundary starts from extreme North western portion of the Sironcha forest division and goes towards the eastern direction making outer boundary of the Sironcha and Allapalli Forest division. It bends towards south east direction at the North-West corner of the Kolpalli M village. Further, it goes along the northern boundary of the same village and half way of later, it bends towards east covering the northern boundary of the Nandigaon village. Then, near Timaram village, it turns southwards and covers Timaram village from its southern boundary and further moves eastward and from eastern boundary of the Raygatta village takes south east direction. It traverses western boundary of the Challewada village.


On western boundary of the Tatigudum village, it takes a U turn and goes towards north east boundary of the Tatigudum village and, northern boundary of the Gottelingampalli village. After crossing KP037 compartment, it takes south-east direction; after covering western boundary of the KP038 and KP059, it meets with the western boundary of Kolamarka conservation reserve and along with it moves southwards making eastern boundary of compartment KP043 and DP028. On western boundary of the Pattigaon village, it bends westwards and covers western boundary of the Lakhanguda village from where it takes north west direction making northern boundary of the Yedranga, Medpalli and Jimmalgatta S villages covering northern boundary of FDCM compartments JP263, JA058 and JA 057 and northern boundary of the JA086 and JA085 and FDCM compartment JP35 and JP33. Now, it bends south east direction making western boundary of the compartment JP252, JP253, JP331, JP339 and SA068. It then takes west-south direction covering western boundary of the SA056, SA057 and SA052. Then, it turn northwards making northern boundary of the Rompalli village and turn west south direction making southern boundary of the Madaram, Kambalpetha Ry. Then it turns south east direction making eastern boundary of the, Kambalpetha Chak village and take sharp U turn making western boundary of the same village. Further it bends towards east in between southern boundary of the Kambalpetha and Borampalli Mal villages. It covers southern boundary of the Borampalli Mal before turning southwards on the eastern boundary of the Tekda Tala villages and covering the southern boundary of the same village meets with Pranhita river at the north western corner of the Glossfard Petha village.

Further, travels north direction bending eastwards on river front boundary of Chikiyala village, again being northwards on the river front boundary of the Reguntha Mal, further bending north east wards on the river front border of the Soyabinpetha, again turning north west direction on the river front border of the Awalmari village and turning north wards on the river front border of the Watra Khurd M village and meets extreme north western corner of the Sironcha Forest division.




**ANNEXURE- IIB**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PRANHITA WILDLIFE SANCTUARY SHOWING VILLAGE BOUNDARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**




## ANNEXURE- IIC

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PRANHITA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH  
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI)  
TOPOSHEET**



## ANNEXURE- IID

**MAP SHOWING COMPARTMENT BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PRANHITA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



## ANNEXURE-III

**TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF PRANHITA WILDLIFE SANCTUARY**

S. No.	Latitude	Longitude
1.	N 19°17'45.349"	E 79°58'07.647"
2.	N 19°17'05.172"	E 79°58'53.635"
3.	N 19°16'32.909"	E 79°59'59.102"

4.	N 19°17'35.589"	E 80°00'37.681"
5.	N 19°16'52.849"	E 80°01'17.541"
6.	N 19°16'32.076"	E 80°02'37.262"
7.	N 19°16'19.431"	E 80°04'07.695"
8.	N 19°15'35.040"	E 80°05'08.534"
9.	N 19°14'50.656"	E 80°05'46.652"
10.	N 19°14'33.536"	E 80°06'30.781"
11.	N 19°13'26.374"	E 80°06'36.735"
12.	N 19°12'24.083"	E 80°07'04.114"
13.	N 19°11'56.791"	E 80°07'35.797"
14.	N 19°11'02.651"	E 80°07'44.324"
15.	N 19°10'57.309"	E 80°08'52.003"
16.	N 19°11'07.001"	E 80°10'19.831"
17.	N 19°10'14.869"	E 80°10'53.616"
18.	N 19°09'08.107"	E 80°11'04.250"
19.	N 19°09'43.066"	E 80°11'47.478"
20.	N 19°10'47.768"	E 80°12'00.478"
21.	N 19°11'40.238"	E 80°12'33.100"
22.	N 19°11'26.746"	E 80°13'24.491"
23.	N 19°08'08.624"	E 80°11'58.573"
24.	N 19°08'36.830"	E 80°09'57.404"
25.	N 19°08'29.997"	E 80°08'12.043"
26.	N 19°08'17.455"	E 80°06'16.401"
27.	N 19°07'44.944"	E 80°04'31.462"
28.	N 19°07'41.720"	E 80°02'56.392"
29.	N 19°06'10.957"	E 80°02'38.811"
30.	N 19°06'12.195"	E 80°01'02.472"
31.	N 19°05'38.414"	E 79°59'57.390"
32.	N 19°04'37.360"	E 80°00'22.220"
33.	N 19°03'31.006"	E 80°01'41.409"
34.	N 19°02'22.218"	E 80°01'45.249"
35.	N 19°01'32.970"	E 80°01'27.266"
36.	N 19°02'10.014"	E 80°00'32.487"
37.	N 19°02'43.391"	E 79°59'29.141"
38.	N 19°02'16.527"	E 79°59'21.866"
39.	N 19°01'08.960"	E 79°59'34.281"
40.	N 19°00'08.311"	E 79°59'05.614"
41.	N 19°00'31.504"	E 79°58'05.702"
42.	N 19°04'04.342"	E 79°55'44.822"
43.	N 19°05'07.832"	E 79°55'30.667"
44.	N 19°05'53.401"	E 79°54'49.115"



45.	N 19°06'36.956"	E 79°54'53.803"
46.	N 19°07'33.141"	E 79°55'28.889"
47.	N 19°07'24.619"	E 79°56'43.832"
48.	N 19°08'35.444"	E 79°56'52.374"
49.	N 19°09'21.863"	E 79°58'11.597"
50.	N 19°10'21.289"	E 79°58'11.586"
51.	N 19°11'36.993"	E 79°57'56.578"
52.	N 19°13'02.052"	E 79°57'16.713"
53.	N 19°14'07.582"	E 79°57'15.409"
54.	N 19°15'20.042"	E 79°58'02.103"
55.	N 19°16'16.610"	E 79°57'24.803"
56.	N 19°16'16.610"	E 79°57'24.803"

**TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE**

Sr. No	Longitude	Latitude	Point id
1	79° 57' 46.624" E	19° 19' 18.974" N	a
2	80° 00' 53.319" E	19° 19' 08.039" N	b
3	80° 01' 53.162" E	19° 18' 20.594" N	c
4	80° 05' 00.930" E	19° 18' 06.981" N	d
5	80° 06' 06.757" E	19° 16' 33.116" N	e
6	80° 07' 43.390" E	19° 16' 55.992" N	f
7	80° 10' 25.592" E	19° 12' 16.447" N	g
8	80° 11' 29.342" E	19° 13' 41.875" N	h
9	80° 14' 20.520" E	19° 13' 10.396" N	i
10	80° 14' 42.264" E	19° 10' 50.662" N	j
11	80° 13' 34.057" E	19° 08' 41.469" N	k
12	80° 14' 35.527" E	19° 09' 06.413" N	l
13	80° 13' 58.016" E	19° 06' 36.328" N	m
14	80° 11' 41.949" E	19° 05' 42.272" N	n
15	80° 11' 46.287" E	19° 05' 00.563" N	o
16	80° 09' 36.987" E	19° 06' 47.033" N	p
17	80° 08' 02.663" E	19° 06' 51.279" N	q
18	80° 07' 36.293" E	19° 05' 50.827" N	r
19	80° 04' 51.785" E	19° 05' 50.920" N	s
20	80° 04' 42.978" E	19° 04' 40.027" N	t
21	80° 02' 35.772" E	19° 04' 35.899" N	u
22	80° 03' 50.315" E	19° 03' 31.236" N	v
23	80° 03' 48.101" E	19° 02' 37.021" N	w
24	80° 05' 11.403" E	19° 01' 53.198" N	x
25	80° 05' 28.903" E	19° 00' 40.207" N	y
26	80° 03' 01.988" E	18° 58' 58.088" N	z
27	80° 02' 02.822" E	19° 00' 19.425" N	aa
28	80° 00' 48.281" E	18° 59' 21.048" N	bb
29	80° 00' 32.934" E	18° 58' 26.833" N	cc

30	79° 59' 49.098" E	18° 58' 35.175" N	dd
31	79° 58' 08.274" E	18° 58' 28.910" N	ee
32	79° 58' 01.704" E	18° 57' 59.716" N	ff
33	79° 57' 24.455" E	18° 57' 18.003" N	gg
34	79° 56' 14.208" E	19° 02' 30.766" N	hh
35	79° 52' 17.400" E	19° 02' 24.388" N	ii
36	79° 51' 48.683" E	19° 06' 42.932" N	jj
37	79° 56' 38.170" E	19° 10' 17.857" N	kk
38	79° 55' 41.015" E	19° 14' 09.291" N	ll

## ANNEXURE-IV

**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF PRANHITA WILDLIFE  
SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sr.No.	Village	Longitude	Latitude
1	2	3	4
1.	Devalmari S Pt	E 79° 58' 27.354"	N 19° 17' 53.110"
2.	Katepalli S	E 80° 00' 00.501"	N 19° 18' 11.124"
3.	Kolapalli M	E 80° 01' 33.645"	N 19° 17' 44.305"
4.	Nandigaon M	E 80° 03' 55.680"	N 19° 17' 41.869"
5.	Timaram S	E 80° 05' 14.473"	N 19° 17' 01.417"
6.	Gudigudam	E 80° 04' 45.802"	N 19° 16' 35.419"
7.	Timram M	E 80° 05' 31.065"	N 19° 16' 33.513"
8.	Raygatta	E 80° 07' 03.106"	N 19° 15' 43.700"
9.	Golakaraji	E 80° 07' 03.106"	N 19° 14' 43.293"
10.	Chhallelwada pt	E 80° 09' 21.639"	N 19° 13' 09.947"
11.	Repanpalli	E 80° 09' 04.273"	N 19° 11' 27.114"
12.	Tatigudam	E 80° 10' 42.468"	N 19° 12' 18.249"
13.	Kamalpur	E 80° 11' 54.900"	N 19° 12' 00.567"
14.	Gotelingampalli	E 80° 12' 48.068"	N 19° 13' 13.341"
15.	Kolamarka	E 80° 11' 54.900"	N 19° 12' 18.249"
16.	Modumadgu	E 80° 11' 29.106"	N 19° 10' 34.955"
17.	Lingampalli	E 80° 11' 29.106"	N 19° 09' 34.136"
18.	Pattigaon M pt	E 80° 13' 05.705"	N 19° 07' 10.352"
19.	Yedampalli	E 80° 12' 06.814"	N 19° 07' 53.239"
20.	Arkapalli	E 80° 10' 05.987"	N 19° 08' 07.367"
21.	Gundera S	E 80° 09' 07.898"	N 19° 08' 27.427"
22.	Govindgaon	E 80° 07' 29.726"	N 19° 07' 04.662"
23.	Yenkabanda	E 80° 06' 03.419"	N 19° 07' 07.516"
24.	Karancha S	E 80° 03' 13.737"	N 19° 06' 33.972"
25.	Bhaswapur	E 80° 02' 48.458"	N 19° 05' 25.146"
26.	Marpalli	E 80° 02' 10.153"	N 19° 05' 30.357"
27.	Joganguda	E 80° 02' 16.031"	N 19° 04' 24.324"
28.	Suddagudam	E 80° 02' 56.847"	N 19° 03' 43.095"
29.	Silmpalli	E 80° 01' 16.271"	N 19° 05' 32.366"
30.	Timaram	E 80° 01' 06.689"	N 19° 04' 45.144"
31.	Dubbagudam	E 80° 00' 10.602"	N 19° 05' 04.357"
32.	Motukpalli S	E 79° 59' 56.711"	N 19° 05' 04.357"
33.	Bogatagudam	E 79° 53' 32.738"	N 19° 07' 13.105"
34.	Bondra	E 79° 53' 11.252"	N 19° 07' 33.102"
35.	Pedigudam	E 79° 53' 50.817"	N 19° 07' 53.535"
36.	Zenda	E 79° 54' 14.807"	N 19° 08' 09.956"
37.	Lankachan S	E 79° 55' 21.334"	N 19° 08' 11.988"
38.	Lankachen M	E 79° 55' 17.488"	N 19° 08' 39.996"
39.	Kerneli M	E 79° 56' 02.995"	N 19° 09' 14.033"

40.	Kerneli S	E 79° 56' 38.365"	N 19° 09' 23.650"
41.	Bhimaram M	E 79° 57' 30.171"	N 19° 08' 46.046"
42.	Vyenkatapur S	E 79° 57' 16.253"	N 19° 10' 08.881"
43.	Vyenkatapur M	E 79° 57' 46.712"	N 19° 10' 29.235"
44.	Avalmari	E 79° 56' 58.542"	N 19° 11' 22.111"
45.	Watra Kh S	E 79° 55' 55.736"	N 19° 13' 18.545"
46.	Watra Kh M	E 79° 55' 42.246"	N 19° 13' 38.549"
47.	Watra Bk S	E 79° 56' 16.341"	N 19° 15' 00.199"
48.	Watra Bk M	E 79° 56' 59.729"	N 19° 15' 34.628"
49.	Devalmari M	E 79° 57' 00.126"	N 19° 16' 56.666"
50.	Madaram Ry	E 80° 01' 15.391"	N 19° 00' 29.020"
51.	Bejurpalli	E 79° 59' 44.847"	N 19° 01' 25.686"
52.	Jarjipetha	E 79° 59' 17.575"	N 19° 02' 32.084"
53.	Kambapeta Ry.	E 79° 59' 46.196"	N 18° 59' 23.792"
54.	Kambalpetta Chak	E 79° 59' 55.451"	N 18° 59' 06.184"
55.	Borampalli Mal	E 79° 58' 51.511"	N 18° 58' 40.568"
56.	Nemada	E 79° 58' 44.355"	N 18° 59' 12.183"
57.	Tekda Chak	E 79° 57' 59.762"	N 18° 59' 13.377"
58.	Tekda Tala	E 79° 57' 37.475"	N 18° 58' 33.753"
59.	Mokela	E 79° 57' 34.936"	N 18° 59' 36.983"
60.	Jafrabad W.I	E 79° 57' 07.168"	N 18° 59' 41.779"
61.	Jafrabad Chak	E 79° 58' 05.225"	N 18° 59' 47.394"
62.	Chikayala	E 79° 55' 43.353"	N 19° 03' 23.059"
63.	Parsewada	E 79° 55' 26.496"	N 19° 04' 13.476"
64.	Ramannapetha Ray	E 79° 54' 49.877"	N 19° 04' 14.661"
65.	Pirmeda	E 79° 54' 54.099"	N 19° 03' 49.451"
66.	Yellamal	E 79° 54' 38.965"	N 19° 03' 16.228"
67.	Vithalraopeta W.I.	E 79° 53' 41.290"	N 19° 03' 44.211"
68.	Reguntha Mal	E 79° 53' 04.288"	N 19° 02' 52.964"
69.	Reguntha Chak	E 79° 52' 26.391"	N 19° 03' 22.153"
70.	Chandaram Chak	E 79° 52' 11.231"	N 19° 03' 33.748"
71.	Vithalraopeta Mal	E 79° 52' 40.256"	N 19° 03' 53.378"
72.	Chandaram Mal	E 79° 52' 06.568"	N 19° 04' 15.365"
73.	Vithalraopeta Chak	E 79° 53' 00.853"	N 19° 04' 31.809"
74.	Narsayyapalli	E 79° 54' 06.920"	N 19° 04' 57.860"
75.	Kottapalli Mal	E 79° 52' 32.182"	N 19° 05' 36.621"
76.	Soyabinpetha	E 79° 52' 24.975"	N 19° 06' 43.848"

## ANNEXURE -V

**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.